

पीछली

आधिकारी :- मुखी लाल भाई R.A.S.

राजस्व काद संख्या : 2014/142

काद दिनांक :- 01-03-2014

कादी

प्रतिकारीगण

धरम लाल पुत्र हरजी राम	व	(1) मोती राम पुत्र श्रीवर्जी राम
जाहि ब्राह्मण निवासी तंकरा	व	(2) बालू राम { पुत्रगण गणेशाराम
तहसील जाउन् जरीए मुख्यालय	न	(3) उदा राम }
कुम्भा राम पुत्र धरम लाल	म	जाहि ब्राह्मण निवासी तंकरा तहसील जाउन्
जाहि ब्राह्मण निवासी तंकरा		(4) तहसीलदार - जाउन्
तहसील - जाउन् जिला नागौर		

दादा बाबू घोषणा खातेदारी व संपत्ति निर्धारणा 1/4 88,188 RTA.

उपाधिपत :- श्री गुलशेर खान आधिकारी कादी

:- निर्णय :-

दिनांक :- 23-08-2016

वाद के तहत इस प्रकार है कि कादी की पेट्टक कलजाकारत की प्रती नमबर 194
 रकम 19=70 कीटा, नमबर नमबर 199 रकम 25=07 कीटा, नमबर नमबर 157 रकम 01=14 कीटा
 नमबर नमबर 247 रकम 4=19 कीटा सरतद तंकरा नालसा तहसील जाउन् में स्थित है जिसकी
 वर्तमान में खातेदारी प्रतिकारीगण संख्या 1 से 3 के नाम से दर्ज है। कादी व प्रतिकारीगण श्री दिपाल
 राम व स्व. गीता राम के वादिस्थान है। यह प्रती अकेले कादी के कलजाकारत की रही है तथा उक्त
 प्रती कादी के पारिवारिक सौखिक कल में बांटा हुआ है। अन्य सभी खातेदारी के तहसील में
 प्रतियों की खातेदारी की अन्य प्रतियां रही है जिनमें कुछ प्रती का विद्युत खातेदारी के द्वारा
 कुछ प्रती का विद्युत इनके वादिस्थान के द्वारा किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रती पर
 कादी अकेला इतरत करत है। 2- प्रकथन के समय से ही कादी का कलजाकारत रहा
 है। राजस्व आधिकारीगणों की प्रती से व प्रकथन के समय कादी के विना कलजा
 कादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं की सही इसलिए आज दिन भी खातेदारी
 प्रतिकारीगण के नाम से दर्ज है। उपरोक्त प्रती की खातेदारी प्रती इतरत इतरत के आधार
 पर दर्ज करवाने के लिए यह काद चेस करत आवश्यकत हुआ है। दादा अन्तर
 मयाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना कादी है कि खेत नमबर
 194, 199, 157, 247 सरतद तंकरा नालसा तहसील जाउन् की खातेदारी से प्रतिकारी
 संख्या 1 से 3 का नाम हटाकर सम्पूर्ण प्रती का कादी के खातेदारी घोषित किया जाना।
 प्रतिकारीगण के तहसील संपत्ति निर्धारणा जरी की जावे तब के कादी के कलजाकारत
 में किसी प्रकार की इतरत न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

xxxxx

उपखण्ड अधिकारी
 (नागौर)

3

विशेषज्ञानुसार सरदार तंजरा खालसा के मुतगारिया खेताप वारी के कन्ट व बुलगायरा
के समग्र क्षेत्र में हैं जिसकी ज़म्मेदारी प्राप्त करने का वह कार्रजन एकदम है। और
'उपलब्ध साक्ष्य' के परिप्रेक्ष्य में वारी का हस्तगत पाद डिल्ली सादिर किया जाय है।

— :: आदेश :: —

सादिर कर सरदार श्रीजा तंजरा खालसा तहसील लाडरुं ई आराजी खसरा नम्बर
'99, 247 का वारी खगनलाल पुत्र हरजीराम के ज़म्मेदार कार्रकर घोषित किया
जाय। आराजी उपयुक्त की ज़म्मेदारी से परमाणु ज़म्मेदारान का नाम हरजिंदर सिंह है।

तदनुसार साक्ष्य रेकॉर्ड सुरक्षित की

(69)
(मुदारी लाल शर्मा)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
लाडरु (नामिथ)

आज दिनांक 23-08-2016 के सरे बजलासं सुनका जमा।

(69)
(मुदारी लाल शर्मा)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
लाडरु (नागौर)